षोडश

बिहार विधान-सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि $\frac{\text{11 चैत्र, 1938 (श०)}}{\text{31 मार्च, 2016 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 140

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	- -	37
(2)	नगर विकास विभाग	- -	39
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	- -	19
(4)	कृषि विभाग	- -	14
(5)	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	- -	10
(6)	खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	- -	13
(7)	सहकारिता विभाग	- -	06
(8)	विधि विभाग (धार्मिक न्यास)	- -	02
		कुल योग —	140

बस पड़ाव बनाना

'क'-*1302. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास (परिवहन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नगर पंचायत, नवीनगर में सरकारी बस पड़ाव नहीं रहने के कारण आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार नवीनगर नगर पंचायत में कबतक बस पड़ाव बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पाइप लाइन बिछाना

'ख'-*1614. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज प्रखण्ड के पी0 एच0 ई0 डी0 कार्यालय कैम्पस में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, थाना, न्यायालय, डी0 एस0 पी0 कार्यालय एवं चौक-चौराहे के लोगों के उपयोगार्थ जलमीनार का निर्माण कार्य वर्ष 2009 में ही पूरा हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलमीनार से संबंधित पाइप लाइन को बिछाने का कार्य केवल 80 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है, जिस कारण से आजतक जल आपूर्ति का कार्य आरम्भ नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जलमीनार से संबंधित बचे हुये 20 प्रतिशत पाइप लाइन बिछाने का कार्य सम्पन्न कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ।

जाँच कराना

*2480. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माप-तौल निरीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा डीपों के तेल टैंकर के गलत मापी करने के कारण तेल कम्पनी लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को भी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माप-तौल निरीक्षक, बिहटा द्वारा दिये गये मापी प्रतिवेदन को माप-तौल निरीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा गलत साबित किया जाता है, जबकि दोनों स्थानों की मापी समतुल्य होने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराने का विचार रखती है ?

पुनर्जीवित करना

*2481. श्री (मो0) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के मीठापुर, पटना, अगरंव पथ, पटना तथा सीवान के बदरूद्दीन हाता के आलू विकास फार्म की स्थिति दयनीय है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित आलू फार्मों को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है ?

नोट--'क'-दिनांक 15 मार्च, 2016 को सदन द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित।

'ख'-दिनांक 17 मार्च, 2016 को सदन द्वारा स्थगित ।

[illegible]

*2482. श्री [illegible]—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों में किसी प्रकार का विचलन न हो इसी उद्देश्य से जी० पी० एस० के माध्यम से प्रवीक्षण कराने की व्यवस्था लागू की गई है, यदि हाँ, तो सरकार समस्तीपुर जिला अनुमंडल क्षेत्र में वाहनों के परिवहन हेतु निर्धारित वाहनों में जी० पी० एस० सिस्टम लगाकर खाद्यान्नों की परिवहन के क्रम में [illegible] विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*2483. श्री चन्द्रसेन प्रसाद—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के एकंगरसराय प्रखण्ड एकंगरसराय बाजार में वित्तीय वर्ष 2010-11 से पेय जलापूर्ति के लिए पाइप का बिछाने [illegible] बंद कर दिया गया है जिसके कारण एकंगरसराय बाजार के 10 (दस) हजार परिवार शुद्ध पेयजल से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त बाजार की जनता को पीने हेतु पाइप लाइन बिछाकर जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

किरासन तेल का वितरण

*2484. श्री मनोज यादव—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के प्रखंड बड़हरा, कोईलवर एवं आरा प्रखंडों में ग्रामीण क्षेत्र किरासन 6 माह से नहीं दिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जन वितरण प्रणाली के डीलर द्वारा उपभोक्ताओं से किरासन तेल का मूल्य 22 रुपया लिया जा रहा है जबकि सरकार द्वारा 15.62 रुपया ही निर्धारित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों के क्रिया-कलाप की जाँच कराते हुए निर्धारित दर पर किरासन तेल वितरित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*2485. श्री [illegible] राय—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड के कटेसर एवं गौरिहार पंचायत में जलमीनार नहीं होने के कारण आम जनता को शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत में जलमीनार का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि वापस कराना

*2486. श्री दिनकर राम—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखंड के डीलर सच्चिदानन्द सिंह सहित 100 से अधिक जन-वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा अक्टूबर-दिसम्बर, 2013 में गेहूँ एवं चावल का उठाव किये जाने हेतु एस०आई०ओ० बनाकर गोदाम प्रबंधक के यहाँ जमा कराया गया, जिसे गोदाम प्रबंधक एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मोकामा द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना के कार्यालय में जमा कर दिया गया, परन्तु गेहूँ एवं चावल का उठाव नहीं कराया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि मोकामा प्रखंड के डीलरों द्वारा जनवरी, 2014 से ही लगातार राशि वापस किये जाने की माँग गोदाम प्रबंधक एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम पटना से की जा रही है, परन्तु अबतक राशि वापस नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मोकामा प्रखंड के डीलरों द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना के कार्यालय में जमा राशि वापस कराने का विचार रखती है ?

जलमीनार का निर्माण

*2487. श्रीमती पूर्णिमा यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के पाली बाजार-गोविन्दपुर पंचायत में जलमीनार एवं पाइप लाइन से जलापूर्ति नहीं होने के कारण (30) तीस हजार आबादी [illegible] असर कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार पाली बाजार-गोविन्दपुर पंचायत में जलमीनार का निर्माण कर पेय जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2488. श्री सुबोध राय—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड–असरगंज पथ पर अवस्थित पहाड़ के तलहटी की जमीन अवैध ढंग से अतिक्रमण कर कुछ लोगों ने अपना पक्का मकान बना लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पहाड़ की जमीन को जे०सी०बी० मशीन से लगातार अवैध तरीके से काटने और बेचने का कार्य चल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पहाड़ की जमीन काटने वाले अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*2489. <u>श्री (मो०) आफाक आलम</u>--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड में अमीन का एक पद विगत 2 वर्षों से रिक्त रहने के कारण इस क्षेत्र के जमीन की मापी कराने हेतु जलालगढ़ प्रखंड के प्रतिनियुक्त अमीन को बुलाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कसबा प्रखंड में रिक्त पड़े हुये अमीन के पद पर प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वार्डों की सफाई

*2490. <u>श्री अजीत शर्मा</u>--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम के वार्ड नं० 1 से 51 तक कचड़ा का डोर-टू-डोर उठाव एवं संग्रहण नाला की सफाई आदि कार्य आउट-सोर्सिंग एजेंसी तथा नगर निगम दोनों के द्वारा किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त नगर निगम के वार्ड नं० 1 से 18 तक पंच फाउन्डेशन द्वारा 17 लाख 50 हजार रुपये, वार्ड नं० 19-35 तक शिवम् इंटरप्राइजेज द्वारा 33 लाख रुपये कचड़ा तथा नाले की सफाई के लिये प्राप्त किया गया एवं वार्ड नं० 36-51 तक नगर निगम ने सफाई का काम स्वयं किया फिर भी उक्त वार्डों में डोर-टू-डोर कचड़ा तथा नाले की जाम की समस्या बनी रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड (2) में वर्णित वार्डों की सफाई पर किये गये खर्च का क्या औचित्य है ?

जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई

*2491. <u>श्री अमित कुमार</u>--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से बी०पी०एल०/ ए०पी०एल० धारकों को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने का दायित्व है, परन्तु सीतामढ़ी जिला में खाद्य निगम के पदाधिकारी, ट्रांसपोर्टरों एवं डीलरों के कारण गरीबों को उचित मूल्य एवं समय पर अनाज उपलब्ध नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2492. <u>श्री रामप्रीत पासवान</u>--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के अन्तर्गत राजनगर प्रखंड में किसानों का डीजल अनुदान की राशि वितरण में वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध कराना

* 2493. श्री कृष्ण कुमार ऋषि--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 फरवरी, 2016 को प्रकाशित शीर्षक ''भूमि का नहीं रहेगा फेरा छत दिलायेगा अभियान बसेरा'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में जिला प्रशासन द्वारा कराये गये गृहविहीन परिवार के सर्वेक्षण में 4194 परिवार गृहविहीन चिह्नित किये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि 4194 चिह्नित परिवारों में से 722 परिवार को गृह बनाने के लिये जमीन उपलब्ध कराया गया है, लेकिन शेष 3472 परिवार को इस योजना से वंचित रखा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 3472 परिवार को गृह बनाने के लिये जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वयन कराना

*2494. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के लखनौर अंचल के मौजे लखनौर, खाता नं० 1002, खेसरा नं० 4223/4224 कुल रकबा 17 कट्ठा 7 धूर में विवाद को जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2015 को झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में साक्ष्य जाँच के उपरान्त समझौता फैसला दिया गया तथा सरकारी अमीन द्वारा दिनांक 19 मई, 2015 को भूमि का मापी कार्य सम्पन्न हुआ, परन्तु भू-स्वामी को मा० पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16 जुलाई, 1973 के न्याय निर्णय के आलोक में पूर्व से दखल जमीन का जोत-कोड़ नहीं करने दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार समझौता फैसला का कार्यान्वयन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन पर कब्जा दिलाना

* 2495. श्री विजय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत भूमिहीन परिवारों को जो जमीन दी गई है, वह बाजार मूल्य से ज्यादा पर खरीदी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गरीब भूमिहीनों का चयन प्रक्रिया में काफी अनियमितता करते लाभुकों का लिस्ट बनाया गया है और बड़हिया प्रखण्ड के खुशहाल टोला में जमीन पर लाभुकों का कब्जा भी नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भूमिहीनों के आवंटित जमीन का सही मूल्यांकन कर लाभुकों को आवंटित जमीन पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति चालू कराना

*2496. श्री अशोक कुमार सिंह(203)—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड में पूर्व से पेयजल मिनी जलापूर्ति योजना ग्राम-करूपुरा, सावठ, छाँव, खामिदौरा एवं नुआंव प्रखंड के मुखराव गाँव में है, जो 10 वर्षों से बंद है, यदि हाँ, तो इसे चालू करने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

बीमा राशि का भुगतान

*2497. श्री नन्द कुमार राय—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में फसल बीमा के तहत किसानों के लिये रब्बी फसल के लिये वित्तीय वर्ष 2011-12 में मौसम आधारित फसल बीमा अन्तर्गत रब्बी फसल के लिये गेहूँ 52 रु० प्रति हेक्टेयर एवं आलू 7,302 रु० प्रति हेक्टेयर तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये गेहूँ 635 रु० प्रति हेक्टेयर एवं आलू 5,544 रु० प्रति हेक्टेयर सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखण्ड के किसानों को वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के उक्त रब्बी फसल का क्षति निर्धारण होने के बावजूद आच्छादित फसल क्षति राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त किसानों को उक्त वित्तीय वर्ष का फसल बीमा क्षति राशि का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना

*2498. श्रीमती लेशी सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखण्ड के धमदाहा तथा सरसी में जलमीनार निर्माण तथा पाइप लाइन बिछाये जाने के बावजूद संवेदक द्वारा की गयी अनियमितता के कारण अबतक आमजन को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं कराया जा सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य में अनियमितता की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करते हुये शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

निर्माण कराना

*2499. श्री बृजकिशोर बिन्द—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी नगर परिषद् के अन्तर्गत साकेत विहार, शक्तिनगर, निकट देव कुमार जायसवाल के मकान से जगमती अपार्टमेंट तक लगभग 300 फीट लम्बी सड़क बिल्कुल जर्जर है तथा नाला का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नाला सहित उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*2500. श्री रवीन्द्र सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत अरवल नगर परिषद् का नगर भवन अरवल काफी पुराना व जीर्ण-शीर्ण है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर भवन अरवल का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध कराना

*2501. श्रीमती लेसी सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा हेतु प्रत्येक परिवार को 12 हजार राशि आवंटित करने का प्रावधान है, जो राशि शौचालय निर्माण के पश्चात् सत्यापन कराकर लाभुकों को दिया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण स्तर पर गरीब परिवार राशि के अभाव में बिना सहायता शौचालय निर्माण कराने में असमंजस के कारण इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार शौचालय निर्माण के पूर्व राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

मेला घोषित करना

*2502. श्री मुजाहिद आलम—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले का खगड़ा मेला बिहार में सोनपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा एवं प्राचीन मेला है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन, किशनगंज द्वारा खगड़ा मेला को मेला प्राधिकार में लाते हुये जिला पदाधिकारी के पत्रांक 459, दिनांक 20 मार्च, 2015 एवं पत्रांक 1142, दिनांक 30 जून, 2015 द्वारा सरकारी मेला घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में विचाराधीन है, यदि हाँ, तो अबतक उक्त प्रस्ताव को अनिर्णित रखने के क्या औचित्य है ?

पेयजल आपूर्ति कराना

*2503. श्री अशोक कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर प्रखंड के ग्राम बुमा तथा ग्राम कल्याण में छह साल पूर्व में ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक इतना समय बीतने एवं एक करोड़ पचास लाख रुपये खर्च होने के बाद भी स्थानीय ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नहीं की जा सकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नियमित रूप से पेय जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*2504. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज तथा भरगामा प्रखंड में 95 प्रतिशत लोग शौचालय की सुविधा के अभाव में बाहर में शौच करने को विवश हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2011-12 तक शत-प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रानीगंज तथा भरगामा प्रखंड में शत-प्रतिशत घरों में शौचालय निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय बनाना

*2505. श्रीमती कुंती देवी—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 4652, दिनांक 3 मई, 1999 के अनुसार गया जिला अंतर्गत अतरी प्रखंड से विभक्त कर, मोहड़ा प्रखंड (नवसृजित) बनाया गया है, जिसका मुख्यालय मोहड़ा है;

(2) क्या यह बात सही है कि मोहड़ा प्रखंड मुख्यालय में पशु चिकित्सालय नहीं होने के कारण पशुओं का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोहड़ा प्रखंड मुख्यालय में पशु चिकित्सालय बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*2506. श्री शम्भूनाथ यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड के मानिकपुर गाँव में सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत 2009 में जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, परन्तु 30 माह बाद भी अभीतक कार्य अपूर्ण है, जिससे आम जनता को भारी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्कीम को कबतक पूर्ण कर जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*2507. श्रीमती समता देवी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी प्रखंड के ग्राम पंचायत बारा में पानी टंकी का निर्माण कार्य विगत तीन वर्षों में 50 प्रतिशत कार्य कर छोड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पानी टंकी का निर्माण कार्य पूरा कर कबतक जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*2508. श्री सैयद अबु दौजाना—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत हरिहरपुर पंचायत के ग्राम डेम्हुआँ में शुद्ध पेयजल योजना अन्तर्गत जलमीनार का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जलमीनार का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से मुक्ति दिलाना

*2509. श्री (डॉ०) सुनील कुमार—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ शहर के पुल पर, आलमगंज, खन्दकपर, भैंसासुर का अखाड़ा, महलपर मुहल्ला के लोगों में पिछले 10 वर्षों से जलजमाव हो जाता है और आवागमन बाधित हो जाता है, यदि हाँ, तो इस समस्या से निजात हेतु सरकार की क्या योजना है?

पेयजल उपलब्ध कराना

*2510. श्री सदानन्द सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के कहलगाँव प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम [illegible], ग्राम-कोदवार तथा गोराडीह प्रखण्ड के ग्राम-[illegible] में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बोरिंग 6 माह पूर्व हो चुका है, परन्तु टावर लगाने एवं [illegible] कराने का कार्य अबतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बोरिंग कार्यों को पूरा कर उक्त ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल पहुँचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सफाई कराना

*2511. श्री महेश्वर प्रसाद यादव—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना में चितकोहरा ओवरब्रिज के नीचे अवैध झुग्गी-झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार के अवैध कब्जा के कारण वहाँ गन्दगी का अम्बार लगा हुआ है, साथ ही इस इलाके में राज्य के कई मंत्री एवं विधायक का आवास है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अवैध झुग्गी-झोपड़ियों को वहाँ से हटाकर इलाके की कबतक सफाई कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों?

जल-जमाव का निदान कराना

*2512. श्री रवीन्द्र सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत नगर परिषद्, अरवल का एन०एच० 98, एन०एच० 110 व भगत सिंह चौक अरवल के आस-पास का मुहल्ला जल-जमाव से ग्रस्त है, यदि हाँ, तो इस समस्या का निदान हेतु सरकार की क्या योजना है ?

अधिप्राप्ति का आदेश देना

*2513. श्री जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है बिहार राज्य में बकायेदार पैक्सों को धान की अधिप्राप्ति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 से रोक लगा दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार वर्ष 2014 में नव निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष जिनके ऊपर किसी तरह का बकाया नहीं है, उन्हें अधिप्राप्ति करने हेतु आदेश देने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिलाना

*2514. डॉ. [illegible] प्रसाद—क्या मंत्री, [illegible] विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] जिलान्तर्गत [illegible] एवं [illegible] प्रखण्ड में 65 प्रतिशत आबादी खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में [illegible] आर्थिक जनगणना में भारी गड़बड़ियाँ होने के कारण लगभग 65 प्रतिशत लोग इससे वंचित हुए हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में आर्थिक, सामाजिक जनगणना में सुधार कर वास्तविक गरीब एवं असहाय लाभुकों को खाद्य सुरक्षा अधिकार दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

श्मशान घाट का निर्माण

*2515. श्री [illegible]—क्या मंत्री, [illegible] विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि [illegible] जिलान्तर्गत [illegible] अनुमंडल मुख्यालय में स्थायी [illegible] श्मशान घाट नहीं रहने से अनुसूचित जाति के लोगों को शव जलाने के लिए श्मशान घाट की कोई सुविधा नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार आवश्यकतानुसार [illegible] में श्मशान घाट बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*2516. डॉ. [illegible] प्रसाद—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि इस वर्ष कम वर्षा के कारण राज्य में सूखे की स्थिति है, जिससे किसानों की फसलें पानी के अभाव में बर्बाद हो गयी हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि सूखाग्रस्त प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है, परन्तु सारण जिला के सोनपुर विधान-सभा क्षेत्र एवं प्रदेश के बहुत सारे किसान मुआवजे की राशि से वंचित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुनः सर्वे कराकर मुआवजे से वंचित किसानों को मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2517. श्री [illegible]—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत विभिन्न [illegible] द्वारा रासायनिक खाद की कालाबाजारी नेपाल देश में किये जाने के कारण जिले के कृषक ऊँचे मूल्य पर खाद खरीदने को विवश हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार रासायनिक खाद की कालाबाजारी को रोकने हेतु अबतक कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2518. [illegible]—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले के नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत किशनगंज शहर के [illegible] अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कराये जाने [illegible]; यदि हाँ, तो सरकार [illegible] अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

[illegible]

*2519. [illegible]—क्या मंत्री, [illegible] विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible];

(2) क्या यह बात सही है कि [illegible];

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माणाधीन [illegible] एवं नाला का निर्माण

*2520. श्री समीर कुमार महासेठ—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी नगर परिषद् के [illegible] का निर्माण [illegible] परन्तु उक्त तीनों [illegible] मधुबनी नगर परिषद् के [illegible] में नाले का निर्माण नहीं होने के कारण [illegible] सड़कों में [illegible] है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मधुबनी नगर परिषद् के उक्त तीनों [illegible] का निर्माण [illegible] में नाला का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार बनाना

*2521. श्री कुमार सर्वजीत—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड के [illegible] पंचायत में जलमीनार नहीं होने के कारण आम जनता को शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर कबतक जलमीनार बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ देना

*2522. श्री सीताराम यादव—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के खजौली विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत कलुआही, खजौली एवं जयनगर प्रखंड स्थित करीब 5 हजार परिवारों का नाम विगत 2 वर्षों से बी०पी०एल० सूची में दर्ज रहने के बावजूद अभीतक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उचित कार्रवाई करके वंचित 5 हजार बी०पी०एल० लाभुकों को उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंदिर की सम्पत्ति सुरक्षित रखना

*2523. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि विधान-सभा क्षेत्र [illegible] कॉलोनी के पास जानकी मंदिर की दो एकड़ जमीन है तथा 100 दुकान हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस मंदिर की जमीन में 100 दुकान का भाड़ा गैर-सरकारी लोग वसूल रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर की सम्पत्ति को सुरक्षित रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*2524. श्री (मो०) आफाक आलम—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत कसबा नगर पंचायत में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनान्तर्गत [illegible] चौक से महावीर चौक होते हुए [illegible] के दोनों तरफ एवं [illegible] चौक से [illegible] चौक तक नाला का निर्माण के लिए सितम्बर, 2015 में क्रमशः 60 लाख रुपये एवं 25 लाख रुपये की प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई है, परन्तु उक्त नाला का निर्माण कार्य अभीतक शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त नाला का निर्माण कार्य अभीतक शुरू नहीं करने का क्या औचित्य है?

जलमीनार का निर्माण

*2525. श्रीमती पूर्णिमा यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के गोविन्दपुर प्रखण्ड के मुख्य बाजार में जलमीनार का निर्माण नहीं होने के कारण आम जनता को पीने का पानी हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जलमीनार का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

*2526. श्री मनोरंजन सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत सिधवलिया प्रखंड के जलालपुर के जन-वितरण विक्रेता श्री जितेन्द्र राय द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मापदण्ड से कम एवं अधिक मूल्य पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल प्रतिमाह दी जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि जलालपुर के उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में 7 अगस्त, 2015 एवं 15 सितम्बर, 2015 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज को लिखित शिकायत की गई थी;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऐसे जन-वितरण विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है ?

पर्चा उपलब्ध कराना

*2527. श्री सरोज यादव—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखण्ड के कुन्दह पंचायत में मौजा बलिया, मौजा सिमर में भूमिहीन महादलितों की जनसंख्या सर्वाधिक है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा महादलितों को तीन डिसमील जमीन देने हेतु अधिसूचना वर्ष 2009 से लागू है, लेकिन आजतक उक्त प्रखण्ड के महादलितों का जमीन का पर्चा नहीं मिला है और अब भी खुले आसमान में जीवन बसर करने को मजबूर हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक महिषी प्रखण्ड के भूमिहीन महादलितों को तीन डिसमील जमीन का पर्चा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्मित संरचना को नियंत्रण में लेना

*2528. श्री महेश्वर प्रसाद यादव—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड नं० 8 के अन्तर्गत राज्य सरकार की खास महाल की भूमि पर जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन अध्यक्ष ने वर्ष 2004-05 में अपने एवं अपने संबंधियों के नाम पर जिला परिषद् से अवैध तरीके से लीज पर लेकर मीनाक्षी इंटरनेशनल होटल बना लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के निदेश के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक 2008/भू०सु० पूर्वी मुजफ्फरपुर, दिनांक 27 जुलाई, 2015 द्वारा उक्त होटल निर्माण को अवैध मानते हुये जिला परिषद से दो करोड़ रु० वसूल करने एवं होटल एवं पूरी जमीन को अपने नियंत्रण में लेने की अनुशंसा की है, लेकिन अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खास महाल की जमीन पर अनधिकृत रूप से निर्माण किये गये संरचना को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति कराना

*2529. श्री सदानन्द सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-कमालपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना पूर्ण हुये चार वर्ष हो चुके हैं, परन्तु ग्रामीणों को जलापूर्ति नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त वर्णित गाँव के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाली एवं मेन ड्रेनेज का निर्माण

*2530. डॉ. विजय कुमार खेमका : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008 में तत्कालीन नगर परिषद्, पूर्णियाँ के सभी वार्डों में नालों के निर्माण के लिये लगभग 56 करोड़ का प्राक्कलन तैयार किया गया था; तत्कालीन सरकार द्वारा इस योजना को बंद कर दी गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि पुनः वर्ष 2013 में नगर निगम, पूर्णियाँ में जल निकासी एवं मेन ड्रेनेज के निर्माण के लिये 5 अरब 42 करोड़ 91 लाख का प्राक्कलन तैयार कर प्रतिवेदन स्वीकृति के लिये सरकार के पास भेजा गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भेजे गये उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकृति देकर पूर्णियाँ नगर निगम में जल निकासी हेतु नाला एवं मेन ड्रेनेज के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

तालाब का जीर्णोद्धार कराना

*2531. श्री सुरेश कुमार शर्मा : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के नगर निगम क्षेत्रों में जलस्तर को मेन्टेन करने में तीन ऐतिहासिक तालाब, साहु पोखर, ब्रह्मपुरा पोखर, पड़ाव पोखर का मुख्य योगदान रहता है;

(2) क्या यह बात सही है कि भीषण गर्मी के कारण ये सभी तालाब सूख रहे हैं, जिस कारण तालाब के आस-पास के सभी चापाकलों का जलस्तर भी नीचे जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित तीनों तालाब का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*2532. श्री समीर कुमार महासेठ— क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी नगर परिषद् में लाखों की आबादी कई कॉलोनियों में निवास करती है;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी नगर परिषद् में एकमात्र पार्क सत्येन्द्र प्रसाद पार्क था, जहाँ अब विवाह भवन का निर्माण हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी नगर परिषद् में उपयुक्त स्थल चयन कर पार्क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम का निर्माण

*2533. श्री [illegible] सिंह—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत [illegible] प्रखंड के [illegible] में पैक्स गोदाम बनाने की स्वीकृति चार वर्ष पूर्व दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पैक्स गोदाम का निर्माण पूर्व पैक्स अध्यक्ष द्वारा नहीं किए जाने से गोदाम के अभाव में पैक्स अध्यक्ष को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पैक्स गोदाम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 719, दिनांक 1 जुलाई, 2013 द्वारा उक्त पैक्स को विभागीय पत्रांक 2016, दिनांक 16 मई, 2012 के अनुपालन में गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई थी।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अंचल अधिकारी, [illegible] के पत्रांक 363, दिनांक 17 अगस्त, 2012 द्वारा जो भूमि गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराया गया था विवादित होने के कारण पूर्व में निर्माण कार्य बाधित रहा। पुनः अंचल अधिकारी, [illegible] के पत्रांक 150, दिनांक 7 मार्च, 2013 द्वारा दूसरी जगह पर गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के बाद [illegible], थाना संख्या 40, खेसरा संख्या 588, रकबा 2.00 एकड़ भूमि पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 890, दिनांक 30 जुलाई, 2013 द्वारा तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष को गोदाम निर्माण हेतु पुनः अभिकर्ता नियुक्त किया गया। परन्तु पैक्स निर्वाचन होने एवं तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष द्वारा अभिरुचि नहीं लिये जाने के कारण निर्माण कार्य बाधित रहा।

(3) जिला सहकारिता पदाधिकारी के पत्रांक 336, दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा वर्तमान पैक्स अध्यक्ष को गोदाम निर्माण हेतु अभिकर्ता नियुक्त कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य आरंभ है।

जमीन उपलब्ध कराना

*2534. श्री [illegible]—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2014-15 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि [illegible] ग्राम पंचायत वार्ड नं० 7 में लगभग 2 डिसमिल जमीन में [illegible] के परिवार 42 सदस्य गुजर-बसर कर रहे हैं जबकि उक्त गरीब परिवार को इंदिरा आवास का भी आवंटन नहीं किया गया है जबकि वे बी०पी०एल० श्रेणी में आते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पीड़ित परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भूमि का रसीद कटवाना

*2535. श्री [illegible]—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] जिला के थाना नं० 541, खाता नं० 499 अंचल [illegible], मौजा [illegible] में 2 बीघा 12 कट्ठा जमीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2000 तक [illegible] (किसान) के नाम से रसीद कटता था परन्तु वर्ष 2010 से अंचल पदाधिकारी के मौखिक आदेश पर रसीद कटना बंद हो गया है, जबकि सन् 1955 में किसान के नाम से बंदोबस्त किया गया था और बी०सी० नं० 35-47/48 में राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृति दी गयी थी, सन् 1980 में सी०डब्ल्यू०जे०सी० 244/80 में उच्चतम न्यायालय में [illegible] किसान के पक्ष में आदेश पारित हुआ था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त भूमि का रसीद काटने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

[illegible] का निर्माण

*2536. श्री [illegible] सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] जिलान्तर्गत [illegible] 2 [illegible] के वाल्मीकिनगर पंचायत में विद्युत उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि [illegible] में [illegible] एवं [illegible] नदी के [illegible] के कारण उक्त जिले के [illegible] को [illegible] हुये [illegible] के लिये [illegible] के कारण [illegible] में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित [illegible] को देखते हुये [illegible] के [illegible] विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक स्थानों पर मीट बेचने पर प्रतिबंध

*2537. श्री [illegible] सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर बकरा, मुर्गा या अन्य जानवर को काटने एवं बेचने पर वर्ष 2016 से सरकार द्वारा रोक लगाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि [illegible] नगर में अनेक जगहों पर [illegible] रोड, [illegible] रोड, [illegible] चौक, [illegible] रोड, [illegible] रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे बकरा, मुर्गा इत्यादि को काटा एवं बेचा जाता है, यदि हाँ, तो इसे रोकने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

[illegible]

*2538. श्री [illegible] सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] जिला के नगर पंचायत [illegible] की कुल परिवार की संख्या 4,380 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत [illegible] के अध्यक्ष श्री [illegible] एवं तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी [illegible] एवं सफाई [illegible] के द्वारा वर्ष 2015 में 12वीं, 13वीं और 14वीं वित्त की राशि से 4,380 परिवारों के लिए 13,000 डस्टबिन की [illegible] में खरीदारी की गयी थी जो परिवार की संख्या से तीन गुणी अधिक है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रति डस्टबिन 500 रुपये में खरीदारी की गई थी जबकि बाजार मूल्य 100 रुपये है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राशि गबन की जाँच कराने का विचार रखती है ?

अनियमितता की जाँच एवं दोषी पर कार्रवाई

*2539. श्री राम विशुन सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद श्रीमती [illegible] देवी द्वारा वर्ष 2012 से सरकारी योजनाओं में मापदंड के अनुसार कार्यों का सम्पादन नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रक्रिया पूरा किये बिना ही नगर पंचायत में चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2012–13 में नियुक्ति की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पार्षद के वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक के बीच में कराये गये कार्यों एवं नियुक्ति में बरती गयी अनियमितता की जाँच कराते हुए दोषी पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क, नाला एवं पानी की व्यवस्था कराना

*2540. श्री संजीव चौरसिया—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के [illegible] नगर, [illegible] रोड जो कि [illegible] से पश्चिम में अवस्थित है में पीने का पानी एवं नाला की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपरोक्त इलाके में सड़क, नाला एवं पीने का पानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलना

'ग' *2541. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड में पशु चिकित्सा महाविद्यालय नहीं होने के कारण संबंधित छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार प्रावधान के आलोक में उक्त प्रखंड में पशु चिकित्सा महाविद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2542. श्री ललित कुमार यादव—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के आधारभूत संरचना एवं भवन निर्माण संबंधी मदों के लिये 869.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्य मंत्री परिषद् द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2012 को दी जा चुकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि के आवंटन के अभाव में निर्माण कार्य विगत दो वर्षों से रूका हुआ है, जिससे परियोजना लागत में अतिरिक्त वृद्धि हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वीकृत राशि का आवंटन देकर विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना एवं भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह चालू कराना

*2543. श्री वीरेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखंड के सिमरिया घाट पर स्थित विद्युत शवदाह गृह विगत 12 वर्षों से बन्द है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्युत शवदाह गृह को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आदेश का अनुपालन कराना

*2544. श्री रामदेव राय—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 2009 से ही सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में शिविर लगाकर दाखिल-खारिज का कार्य करना था, जबकि अबतक प्राप्त दाखिल-खारिज से संबंधित आवेदनों के मात्र 10% का ही निष्पादन किया गया है, जिसके कारण आवेदकों को अंचल का चक्कर लगाना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

नोट- 'ग' पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में स्थानान्तरित ।

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2545. श्री [illegible] प्रसाद—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत [illegible] प्रखंड के [illegible] पंचायत, वार्ड नं० 8, [illegible] अन्तर्गत [illegible] सिंह के घर होते हुये, मध्य विद्यालय, [illegible] तक जानेवाली सड़क जिसका खेसरा नं० 187 है, सरकारी नक्शा के अनुसार 16 फीट चौड़ी सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आवागमन बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराकर लोगों को आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*2546. श्री राणा रणधीर—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि [illegible] जिलान्तर्गत [illegible] प्रखंड के किसानों को सरकार द्वारा दिए गए बीज अनुदान की राशि [illegible] माह पूर्व प्रखंड कार्यालय को प्राप्त होने के उपरांत भी अभीतक उक्त प्रखंड के किसानों के बीच वितरण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त राशि को अबतक किसानों के बीच वितरण नहीं करने का क्या औचित्य है तथा इसके लिए दोषी के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि अधिग्रहण करना

*2547. श्री दिनेश चन्द्र यादव—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत बनमा इटहरी प्रखंड कार्यालय भवन के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 2007-08 में शुरू की गई थी, लेकिन अबतक जमीन अधिग्रहण नहीं होने से प्रखंड कार्यालय भवन का निर्माण नहीं हो रहा है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक भूमि अधिग्रहण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सदस्य बनाना

*2548. श्री प्रमोद कुमार—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोतिहारी जिला के मोतिहारी प्रखण्ड के [illegible] पंचायत स्थित मत्स्य सहयोग समिति के अन्तर्गत [illegible] नदी अवस्थित है, परन्तु [illegible] गाँव के शिकारमाही करनेवाले मल्लाह, गरीब मजदूर को समिति का सदस्य नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

तालाब का सौंदर्यीकरण

*2549. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत नगर निगम के पूर्णियाँ सिटी स्थित माँ पूरणदेवी मंदिर में श्रद्धालु [illegible] पर पूजा-अर्चना किया करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि मंदिर के बगल में एक तालाब है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वहाँ स्थित तालाब का सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2550. श्री रत्नेश सादा : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा, पतरघट, बनमाइटहरी प्रखंडों में बी०पी०एल० परिवारों के सूची के आधार पर खाद्य सामग्री का उठाव किया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों प्रखंडों में सूची के आधार पर खाद्य सामग्री डीलरों द्वारा उठाव करने के बाद वितरित नहीं किया जाता है जिससे बी०पी०एल० परिवारों को किरासन तेल एवं खाद्य सामग्री की समस्या उत्पन्न हो गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सूची के आधार पर तीनों प्रखंडों में खाद्य सामग्री एवं किरासन तेल वितरित कराने एवं अनियमितता बरतने वाले डीलरों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*2551. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत कोंच प्रखंड के कोंच ग्राम में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी टंकी का निर्माण विगत तीन वर्षों से हो रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित टंकी से पूरे गाँव में सात किलोमीटर तक पानी की आपूर्ति न होकर सिर्फ सड़क किनारे करीब एक कि०मी० के पाइप भाग में ही पाइप लगाया गया है, शेष कि०मी० में जलापूर्ति नहीं की जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूरे कोंच गाँव में पाईप बिछाकर जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन उपलब्ध नहीं कराने का औचित्य

*2552. श्री नन्दकिशोर यादव : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सब्जियों के गुणवत्तायुक्त बीज की काफी कमी है तथा राज्य में उपलब्ध सब्जियों के बीज की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर भी काफी कम है;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित समस्या के समाधान हेतु निदेशक, आई०सी०ए०आर०-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी ने अपने पत्रांक 11 बी०आर०/वी०आई०आर०/1 जनवरी, 2015, दिनांक 30 जून, 2015 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार को एक पत्र लिखा, जिसमें राज्य में सब्जी के गुणवत्तापूर्ण बीज की पर्याप्त उपलब्धता के लिये संस्थान को सब्जी बीज उत्पादन केन्द्र स्थापित करने हेतु शाहाबाद अथवा आसपास क्षेत्र में कम से कम 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड (2) में वर्णित संस्थान को आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

जल निकासी कराना

*2553. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नगर पंचायत [illegible] स्थित [illegible] के [illegible] से जो नाला [illegible] है उसमें [illegible] स्थित [illegible] में [illegible] का पानी [illegible] जल निकासी के अभाव में कोई [illegible] नहीं [illegible] है, यदि हाँ, तो क्या सरकार [illegible] जल निकासी का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फ्लैटों का जीर्णोद्धार

*2554. श्री (डॉ०) सी० एन० गुप्ता: क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिले के छपरा सदर प्रखंड के प्रभुनाथ नगर में सन् 1982 में आवासीय कॉलोनी बना था, जिसमें 302 फ्लैटों का निर्माण हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त फ्लैटों के रख रखाव नहीं होने से सभी फ्लैट जर्जर हालत में है और कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है;

(3) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त फ्लैटों के जीर्णोद्धार का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2555. श्रीमती आशा सिन्हा: क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के दानापुर स्थित [illegible] पथ के दोनों ओर जल निकासी से संबंधित नाले को [illegible] आवासियों द्वारा [illegible] कर लिया गया है, जिसके कारण [illegible] में जल निकासी नहीं होने के कारण [illegible] आम जनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पथ के दोनों तरफ नाले को अतिक्रमण से मुक्त करने का विचार [illegible] रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन में ए०आई० कार्य कराना

*2556. श्री गिरधारी यादव: क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु बेरोजगार [illegible] को [illegible] प्रशिक्षण (1) कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण एवं (2) [illegible] प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि बाँका जिला में [illegible] प्रशिक्षण प्राप्त 12 [illegible] को कृत्रिम गर्भाधान का सामान उपलब्ध कराकर अभी तक ए०आई० कार्य नहीं कराया गया;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रशिक्षित [illegible] से ए०आई० कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार बनाना

*2557. श्रीमती आशा सिन्हा: क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर विधान सभा क्षेत्र के अधीन वर्ष 2013 में मुबारकपुर, सुल्तानपुर, शाहपुर सहित 9 स्थानों पर जलमीनार बनाने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के निर्णय के आलोक में उक्त वर्णित स्थानों पर जलमीनार का निर्माण नहीं कराया जा सका है, जिसके कारण वहाँ के निवासियों को पीने के पानी की कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वर्णित स्थानों सहित नौ स्थानों पर जलमीनार बनाने का कार्य कबतक आरंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि पर कब्जा दिलाना

*2558. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह: क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के प्रखंड भगवानपुर हाट के ग्राम सिसौली के 7 (सात) महादलित जाति को वर्ष 1975-76 में भूमि पर्चा दी गयी, जो आजतक कब्जा नहीं दिलाये गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महादलितों को कबतक दी गयी भूमि पर कब्जा दिलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सक बहाल करना

*2559. श्री जिवेश कुमार: क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय में एक ही पशु चिकित्सालय है, जिसमें पशु चिकित्सक पदस्थापित नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रयोगशाला स्थापित करना

*2560. श्री मदन मोहन तिवारी: क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया, मझौलिया सहित विभिन्न प्रखंड का पेयजल लौह प्रभावित, आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पेयजल गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला प्रखंड स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण आम लोग दूषित पानी पीकर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेतिया एवं मझौलिया प्रखंडों में पेयजल गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल को ठीक कराना

*2561. श्री कृष्ण कुमार ऋषि : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बनमनखी अनुमंडल अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में चापाकल लगाया गया था जो खराब हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त चापाकल को ठीक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*2562. श्री मदन मोहन तिवारी : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला अन्तर्गत बेतिया नगर क्षेत्र में शवदाह गृह नहीं रहने के कारण शव को दाह करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शहर में अत्याधुनिक शवदाह गृह बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एम०ए०सी०पी० का लाभ दिलाना

*2563. श्री श्रीनारायण यादव : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(1) क्या यह बात सही है कि श्री चरित्र यादव, उच्चवर्गीय लिपिक एवं श्री राम प्रसाद राम, उच्च वर्गीय लिपिक क्रमशः दिनांक 31 जनवरी, 2011 एवं 31 जनवरी, 2009 को सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन इसका एम०ए०सी०पी० का लाभ अभीतक लम्बित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 643, दिनांक 14 जुलाई, 2014 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री यादव को एम०ए०सी०पी० लाभ देने का मामला प्रक्रियाधीन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोनों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति कराना

*2564. श्री अशोक कुमार : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा के खानपुर प्रखंड मुख्यालय एवं नरघोघी ग्राम में पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण वर्ष 2011-12 में कराया गया था, लेकिन अबतक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नहीं कराई जा सकी है, यदि हाँ, तो उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो ऐसी योजनाओं का औचित्य क्या है ?

औचित्य बतलाना

*2565. श्री राजू तिवारी : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के अरेराज प्रखंड अन्तर्गत पीपरा पंचायत, संग्रामपुर प्रखंड अन्तर्गत दीवानी भवानीपुर एवं पहाड़पुर प्रखंड अन्तर्गत [illegible] पंचायत के डीलरों के द्वारा जन वितरण प्रणाली के माल किरासन मिट्टी तेल वितरण में उपभोक्ताओं से माप-तौल में भारी हेराफेरी एवं कालाबाजारी की शिकायत संबंधित पदाधिकारी को समय-समय पर की गयी है, परन्तु माप तौल की समस्या बरकरार है, यदि हाँ, तो तेल वितरण मीटर या आधुनिक मापक प्रणाली द्वारा नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

दाखिल खारिज करना

*2566. श्री [illegible]--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज एवं नाथनगर अंचलों में कायम लगान की समस्या के कारण हजारों भू-धारियों का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कारणों से भू-धारियों को परेशानी के साथ ही सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कायम लगान को समाप्त कर भू-धारी जमीन मालिकों के पक्ष में दाखिल खारिज का आदेश देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत का दर्जा दिलाना

*2567. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला में लौरिया एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे अबतक नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

कार्य पूरा कराना

*2568. श्री अवधेश सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों में "बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना" के अन्तर्गत वैशाली जिला के बिदुपुर प्रखंड के ग्राम चेचर सहित 19 स्थानों पर जलमीनार बनाने हेतु 136.5 करोड़ रुपये की योजना अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में कार्य प्रारम्भ हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलापूर्ति योजना में 14 जलमीनार पूर्ण हुआ परन्तु 5 जलमीनार का निर्माण कार्य बन्द है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कार्यों को कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति चालू कराना

*2569. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड मुख्यालय रानीगंज में विगत 4 वर्षों से जलापूर्ति की व्यवस्था ठप है, जिससे आम जनता को पेयजल में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रानीगंज में पुनः जलापूर्ति चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल जमाव रोकना

*2570. श्री (डॉ०) सी०एन०गुप्ता--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड के पेय जल योजना में एक माह से अधिक समय से जलापूर्ति ठप्प है, साथ ही रिविलगंज बाजार के मुख्य सड़क के नीचे बिछे पानी के पाइप के फट जाने से महीनों से सड़क पर पानी का निरंतर बहाव हो रहा है और सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है; यदि हाँ, तो सरकार अविलंब, सुचारू रूप से जलापूर्ति की व्यवस्था बहाल करने एवं जल बहाव को रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य पालन केन्द्र खोलना

*2571. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड में एक भी मत्स्य पालन केन्द्र नहीं है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

राशि खर्च करना

*2572. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत पैक्सों के सर्वांगीण विकास हेतु आई०सी०डी०पी० योजना के तहत पैक्सों में गोदाम, राइस मिलर, ड्रायर, गाड़ी, कम्प्यूटराइजेशन, मार्जिन मनी आदि कई मदों में राशि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आवंटित की गई है, परन्तु सभी मदों की राशि खर्च कर राशि को गोदामों के निर्माण में लगा दिया गया है, जिससे अन्य राइस मिलर, ड्रायर, ग्रेडर एवं गाड़ी आदि का कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार आई०सी०डी०पी० द्वारा प्रदत्त राशि को गोदामों के निर्माण के अतिरिक्त आई०सी०डी०पी० की राशि को निर्देशित योजनाओं पर खर्च करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

घोषणा का औचित्य

*2573. श्री विजय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि बड़हिया मोकामा टाल काफी समय से दलहन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006 में क्षेत्र को तेलहन क्षेत्र के रूप में घोषित करके दलहन क्षेत्र के किसानों को लाभ से वंचित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पशु वितरण नहीं करने का औचित्य

*2574. श्री संजय सरावगी— स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 6 जनवरी, 2016 को प्रकाशित खबर "बी0 पी0 एल0 परिवार को बकरी देने और मिली दोगुनी योजना नहीं हुई शुरू एवं फाइलों में दबी कई गरीबों की योजनाएँ" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गरीबी दूर करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जिविका के माध्यम से 2 लाख बी0 पी0 एल0 परिवारों के बीच 6 लाख बकरी बांटने की योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 में बनाई गई थी, लेकिन पशुपालन विभाग ने बकरी खरीद नहीं किया जिससे 2 लाख गरीब परिवारों को जिविका के लिए 6 लाख बकरी नहीं बांटी जा सकी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

धान खरीदना

*2575. श्री राघव शरण पाण्डेय— क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्व में अनियमितता बरतने वाले पैक्सों को धान के क्रय हेतु इस वर्ष राशि नहीं दी गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ के किसानों से धान खरीद की वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*2576. श्री नारायण प्रसाद— क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण जलापूर्ति हेतु जलमीनार बनाने के लिए पाँच हजार की आबादी का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड के उर्वारिया, शिवराजपुर, बैकुण्ठवा, पकड़िया, इटवा पंचायत की आबादी दस हजार से अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों में जलमीनार का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

*2577. श्री संजय सरावगी— क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में 40 करोड़ की लागत से दरभंगा शहर में जलापूर्ति योजना प्रारम्भ किया गया, जिससे शहर के प्रत्येक घरों में पेयजल आपूर्ति करनी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभीतक उक्त योजना से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है एवं 30 प्रतिशत पाइप लाइन का अधिष्ठापन अभीतक बाकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त योजना के तहत पेयजल आपूर्ति एवं विलम्ब के लिए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सा केन्द्र खोलना

*2578. श्री अमोद कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत कोंच प्रखंड के उसास देवरा एवं कावर ग्राम में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय एवं गर्भाधान केन्द्र नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उसास देवरा एवं [illegible] ग्राम पंचायत के किसानों को पशुचिकित्सा व पशुओं को गर्भाधान हेतु कोंच जाना पड़ता है, परन्तु कोंच की दूरी उक्त ग्राम पंचायतों से अधिक होने के कारण किसानों को कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उसास देवरा एवं कावर ग्राम में पशु चिकित्सालय तथा गर्भाधान केन्द्र के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*2579. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि स्लम बस्ती योजना के तहत पटना जिला के नौबतपुर नगर पंचायत के अन्तर्गत जो मकान स्वीकृत किया गया है, उसमें बहुत सारे नौकरी पेशा लोगों के नाम आवास स्वीकृत की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर कबतक दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है ?

जमीन उपलब्ध कराना

*2580. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर चांड़ा बाजार के उत्तरी हिस्सा में 50 वर्षों से अधिक से बसे 40 महादलित परिवार मुसहर, चमार, डोम एवं धांगड़ परिवार के पास अपना जमीन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने सभी भूमिहीन महादलित परिवार को जमीन उपलब्ध कराने का वर्ष 2011 में ही निर्णय लिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कल्याणपुर चांड़ा बाजार में बसे हुए महादलित परिवार को जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पी०सी०सी० का निर्माण

*2581. श्री मुद्रिका सिंह यादव—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के जहानाबाद नगर परिषद वार्ड नं० 28 में कपिल दास के मकान से गया-पटना रोड तक नाला एवं पी०सी०सी० का निर्माण नहीं होने के कारण वहाँ के लोगों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कार्यों को सम्पादित कराने का विचार रखती है ?

सड़क का निर्माण

*2582. श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर परिषद क्षेत्र के कलेक्शन सेन्टर से भगत राय के मकान तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर होने के कारण बरसात में सड़क पर पानी लग जाता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*2583. श्री सुभाष सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज शहरी क्षेत्र में मात्र एक जलमीनार के पुराना हो जाने के कारण टंकी एवं पाइप लाइन जर्जर हो गया है, जिसके कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नया जलमीनार तथा पाइप लाइन बनाकर गोपालगंज शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अध्यक्ष बनाने का औचित्य

*2584. श्री नन्द किशोर यादव—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है, परन्तु 1 सितम्बर, 2015 को उक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष मतदाता सूचि में अंकित है, यदि हाँ, तो अर्हता नहीं रखने वाले व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष बनाने का क्या औचित्य है ?

पेयजल की समस्या का निदान

*2585. श्री राजेश कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नबीनगर प्रखंड अन्तर्गत धमनार पंचायत के शिव बिगहा, सलैया टोला, पांडेयपुर, कुमहारी, माझरी तथा महरलेवा ग्राम में पेयजल की समस्या गंभीर बनी हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक इसका निदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टंकी से जलापूर्ति

*2586. श्री [illegible] : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के प्रखंड [illegible] में शुद्ध पेयजल हेतु पानी टंकी का निर्माण कराया गया, परन्तु पंचायत [illegible] में वर्षों से उक्त टंकी से पानी नहीं मिलता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक लोगों को उक्त टंकी से पानी दिलाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*2587. श्री [illegible] सिंह : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] विधानसभा अन्तर्गत प्रखंड के [illegible] पंचायत के सभी गाँवों में [illegible] नहीं मिलने से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है तथा लोगों का जीना दूभर हो गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पंचायत के सभी गाँवों के ग्रामीणों को आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीमा राशि का भुगतान

*2588. श्री [illegible] सिंह : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14,2014-15 एवं 2015-16 में किसानों के फसल बीमा की राशि [illegible] द्वारा इन जिलों में बाँट दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा फसल बीमा का लाभ 33 जिलों को मिल चुका है, लेकिन खगड़िया जिला सहित चार जिला के किसानों को लाभ नहीं मिला है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक खगड़िया जिला एवं अन्य चार जिलों के किसानों को बीमा राशि मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वैकल्पिक व्यवस्था करना

*2589. श्री [illegible] प्रसाद गुप्ता : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर शहर के [illegible] मार्ग में लगभग 65 वर्षों से लकड़ी की गुमटी बनाकर दुकानदार उसका किराया नगर निगम को देकर अपना गुजारा करते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि लकड़ी की गुमटी होने के कारण बराबर चोरी एवं आगलगी जैसी घटनाएँ होती रहती हैं, यदि हाँ, तो लकड़ी के गुमटी वाले दुकान को हटाने एवं वैकल्पिक निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

जलमीनार का निर्माण

*2590. श्री सैयद अबु दौजाना– क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत कुम्भा पंचायत के ग्राम-कुम्भा में स्वच्छ पेयजल योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं होने के कारण जलमीनार का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण जनता को जलापूर्ति में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार का कबतक निर्माण कराकर जलापूर्ति उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापन

*2591. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह– क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा प्रखंड में विगत 5 वर्षों से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नहीं रहने तथा इसमें प्रभार में अन्य के रहने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है तथा उचित लाभ लाभुकों को प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कोटवा प्रखंड में आपूर्ति पदाधिकारी का कबतक पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिकारी पर कार्रवाई

*2592. श्री प्रमोद कुमार– क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014-15 में गेहूँ फसल क्षति आपूर्ति एवं वर्ष 2015-16 में डीजल अनुदान के तहत पू0 चम्पारण के मोतिहारी एवं पीपराकोठी प्रखंड के क्रमशः राम सिंह छतौनी, बासमनपुर, टिकुलिया, मधुबनी घाट, अमर छतौनी, बरवा दक्षिण, टेकर्हा, बीर छपरा, पंडितपुर, टिकैता, गोविन्दापुर, सूर्यपुर पंचायतों के किसानों का राशि बकाया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्डों के किसानों को गेहूँ फसल क्षतिपूर्ति एवं डीजल अनुदान का भुगतान कराते हुये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गबन की जाँच

*2593. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान– क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014-15 में गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के उसरी, सिधवलिया, हकाम, दिग्वा उत्तर, दिग्वा दक्षिण, सिधवलिया प्रखंड के महम्मदपुर, जलालपुर, बखरौर, अमरपुरा एवं बरौली प्रखंड के हसनपुर पंचायतों के पैक्स अध्यक्षों के द्वारा किसानों के फर्जी नाम पर धान अधिप्राप्ति दिखाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग एवं अनुदान की राशि का गबन कर दिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पैक्सों द्वारा अनियमित धान अधिप्राप्ति राशि को गबन की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2594. <u>श्री सुदामा प्रसाद</u>—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में कालाबजारी का 70 लाख का सरकारी चावल सिकरहट्टा में जब्त किया गया है, जिसका एफ0 आई0 आर0 सं0 सिकरहट्टा था0 कां0 सं0 13/16 दर्ज है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मामले में कौन-सी कार्रवाई कर रही है ?

बीज उपलब्ध कराना

*2595. <u>श्री सरोज यादव</u>—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड बड़हरा, कोईलवर एवं आरा प्रखंडों सहित पूरे राज्य में प्रखंड मुख्यालय से किसानों को मुफ्त बीज वितरण करना है, जबकि बड़हरा, कोईलवर में आरा प्रखंडों में बीज वितरण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों का शिविर लगाकर मुफ्त बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2596. <u>श्री भाई वीरेन्द्र</u>—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के मनेर विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत मनेर एवं बिहटा प्रखण्ड स्थित सिकन्दरपुर, कंचनपुर, दर्वेशपुर, दक्षिणी सिमरा इत्यादि पंचायतों में विगत 2 वर्षों से पेयजल पानी का स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण अधिकांश चापाकल बन्द होने से स्थानीय लोगों के बीच पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित पंचायतों में जलापूर्ति शुरू करने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौन्दर्यीकरण एवं मत्स्य पालन कराना

*2597. <u>श्री विनय बिहारी</u>—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार बड़े जलाशयों का सौन्दर्यीकरण कराने तथा मत्स्य उपयोग में लाने के लिये प्रयासरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के योगापट्टी प्रखंड अन्तर्गत सेमरी झील सरकार के अधीन है, जिसके रख-रखाव की स्थिति दयनीय है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सेमरी झील का सौन्दर्यीकरण कार्य कराने एवं मत्स्य पालन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*2598. श्री चन्द्रसेन प्रसाद—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के गिरियक पर्वती पथ के पाँचवें कि०मी० में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण रैयती जमीन श्री जयपाल प्रसाद, पिता स्व० फाल महतो, ग्राम परमानन्दपुर, पो० कतौना, जिला नालन्दा का खाता नं० 508 खेसरा नं०-1553, मौजा कटौना रकबा 0.0275 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण वित्तीय वर्ष 2012-13 में कर लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अधिग्रहित जमीन का कुल मुआवजा 55770/ (पचपन हजार सात सौ सत्तर) रु० जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा तय किया गया है जो अभीतक जमीन मालिक को प्राप्त नहीं कराया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन के वाजिब हकदार को मुआवजा अभीतक नहीं भुगतान करने वाले दोषी पदा०/कर्मी० के ऊपर कार्रवाई एवं भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2599. श्री रमेश ऋषिदेव—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ नगर निगम अन्तर्गत शारदा नगर वार्ड 12 में श्रीमती गीता सरकार एवं श्री राधा मणि सरकार के घर से पूरब एवं उत्तर 12 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क को उक्त व्यक्ति के द्वारा नारियल के पेड़ एवं दिवाल देकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे स्कूली बच्चों एवं महिलाओं के साथ-साथ पूरे मोहल्ला वासी को आने-जाने में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खण्ड (1) में वर्णित व्यक्ति से सड़क की जमीन खाली कराकर अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सा केन्द्र खोलना

*2600. श्री लाल बाबू राम—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखण्ड के कटेसर, मुशैल प्रखण्ड के ईटहा ग्राम में पशु चिकित्सा केन्द्र नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र के पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है साथ ही पशुओं का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*2601. श्री (मो०) नवाज आलम—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में आम जनता को टहलने, खेलने, कूदने का एकमात्र मैदान आरा का रमना मैदान है;

(2) क्या यह बात सही है कि रमना मैदान में सुबह-शाम हजारों लोग शौच कर गन्दा कर देते हैं तथा कुछ हिस्सा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे टहलने वालों को काफी कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार रमना मैदान आरा को साफ-सुथरा एवं अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*2602. श्री (मो॰) नवाज आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आरा शहर में सार्वजनिक शौचालयों की भारी कमी है, जिसके कारण आमजनों को काफी कठिनाई होती है तथा सार्वजनिक शौचालय के अभाव में लोग नाली और गली में शौच करने के लिये बाध्य होते हैं, यदि हाँ, तो सरकार प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक शौचालय बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार से जलापूर्ति कराना

*2603. श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के ग्राम-तरार टोल (मिसिर बिगहा) दाउदनगर में जलमीनार बनकर तैयार है, लेकिन उससे घर-घर जलापूर्ति नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इस जलमीनार से जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान क्रय एवं भुगतान करना

*2604. श्री भाई वीरेन्द्र--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 फरवरी, 2016 को प्रकाशित शीर्षक "धान खरीद के लिये हंगामा, जाम" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला सहित पूरे राज्य में वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 में पैक्स अध्यक्षों और विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण कम किसानों का धान पैक्स क्रय केन्द्र पर लिया जा रहा है एवं शेष किसान धान को 800-1000 रुपये के मूल्य पर साहुकारों के हाथों बेचने पर विवश हो रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि पैक्स द्वारा क्रय किये गये किसानों का धान का भुगतान भी वर्तमान समय तक नहीं किया गया है जिसके कारण किसानों और उनके आश्रितों के सामने भुखमरी का आलम है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सभी किसानों का धान क्रय एवं भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार बनाना

*2605. श्री कुमार सर्वजीत--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत में जलमीनार नहीं होने के कारण आम जनता को शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर कबतक जलमीनार बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*2006. श्री मिथिलेश तिवारी— क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008–09 से लगातार गोपालगंज सहित राज्य के हजारों वैक्सिनेटर अपनी सेवा देते आ रहे हैं, जिन्हें अभीतक नियोजित नहीं किया गया है और न ही उनका बीमा कराया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012-13 में इन्हीं वैक्सिनेटरों द्वारा पशु नस्लवार गणना करायी गई थी, जिसका भुगतान आजतक लंबित है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014-15 में एच० एस० बी० क्यू० का वैक्सिनेशन करने के बाद भी उनका भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैक्सिनेटरों का लंबित भुगतान, बीमा एवं नियोजन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध कब्जा हटाना

*2007. श्री यदुवंश कुमार यादव— क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत चौसा अंचल के सहुरिया टोला स्थित खाता नं० 1689 खेसरा नं० 3811, 3771 सर्वे में सरकारी जमीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त खाता, खेसरा की जमीन का अंचल कार्यालय की मिलीभगत से स्थानीय लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँच कर जमीन से अवैध कब्जा हटाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2008. श्री श्यामदेव प्रसाद— क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान नगर परिषद के अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के 126 एवं 131 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये तीन सौ एल०ई०डी०, स्ट्रीट लाइट एवं डेकोरेटिव पोल की खरीददारी की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रक्रिया में बिहार म्युनिसिपलिटी एक्ट, 2007 के रूल 245 में स्ट्रीट लाइट के संबंध में दिये गये निर्देश की अनदेखी की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2609. डॉ० शकील अहमद खाँ— क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में निवासियों के लिये आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड वर्ष 1982 का गठन किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आवास बोर्ड के द्वारा राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों में आवासीय भवन का निर्माण किया गया है, लेकिन कटिहार में नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटिहार जिला में बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवासीय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

*2610. श्री (मो०) नेमतुल्लाह— क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के न्यू पाटलिपुत्र अन्तर्गत पासी टोला से [illegible] होते हुए सेंट्रम/लोयला/डॉनबास्को स्कूल तक जाने वाली सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक पक्कीकरण कराने का विचार रखती है ?

जमीन उपलब्ध कराना

*2611. श्री ललन पासवान— क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दस लाख लाल कार्डधारी हैं जिसमें प्रत्येक लाल कार्डधारी को तीन डिसमिल जमीन देने का सरकार का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जाति के लाल कार्डधारी में मात्र 40 हजार लोगों को जमीन पर कब्जा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष लाल कार्डधारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जमीन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2612. श्री रमेश ऋषिदेव— क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सभी 13 प्रखंडों कुमारखंड, सिंहेश्वर, मधेपुरा में मच्छर का प्रकोप काफी बढ़ जाने के कारण वहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयाँ एवं मच्छर जनित रोगों को झेलना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इस समस्या से निजात हेतु कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2613. श्री राणा रणधीर- क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखण्ड के रामपुर, आमी ग्राम पंचायत के किसानों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में फसल क्षति होने के कारण सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, पिता स्व० रामविनोद सिंह सहित कुल 10 किसानों द्वारा फसल क्षति होने के कारण इससे संबंधित अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्री डाक द्वारा आवेदन अंचलाधिकारी, दिघवारा को प्राप्त कराया गया था, लेकिन इनलोगों को अनुदान की राशि नहीं दी गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के श्री मनोज कुमार, पिता स्व० मथुरा प्रसाद, श्री प्रशान्त सिंह, पिता स्व० परशुराम सिंह सहित कुल दस ऐसे व्यक्तियों को उक्त अनुदान की राशि गलत प्रतिवेदन के आधार पर दिया गया है, जिन्हें खेती योग्य जमीन ही नहीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर इसके लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

नाला का निर्माण

*2614. श्री नीरज कुमार- क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखण्ड के गोला रोड के वार्ड नं० 21 में बजरंगी महादेव मंदिर के पीछे डॉक्टर चौबे लेन से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क जो विरेन्द्र राय के मकान से गोला रोड मुख्य पथ में मिलती है, सड़क और जल निकासी का अभाव है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुहल्लावासियों क्रमश: जमादार राय एवं रामइकबाल सिंह द्वारा विगत तीन-चार वर्षों में अनेकों आवेदन जिलाधिकारी, पटना एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर को दिया गया परन्तु अबतक इसपर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खण्ड (1) में वर्णित सड़क का निर्माण एवं जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल का निर्माण

*2615. श्री विद्यासागर केशरी--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड के कुसमाहा पंचायत एवं पीपरा पंचायत में एक भी पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण पशुओं के गर्भाधान एवं अन्य रोगों का इलाज कराने हेतु 9 कि॰ मी॰ दूर प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है, जिससे रास्ते में ही अनेकों पशु मर जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार फारबिसगंज प्रखंड के कुसमाहा बाजार एवं पीपरा में कबतक पशु अस्पताल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2616. श्रीमती बेबी कुमारी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत मुशहरी एवं बोचहा प्रखंड में शौचालय के निर्माण में शिथिलता, जटिलता एवं विभागीय पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण संवेदक द्वारा घटिया निर्माण किया जा रहा है; यदि हाँ, तो सरकार कबतक शौचालय निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क निर्माण कराना

*2617. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बेलसण्ड प्रखण्ड के बेलसण्ड नगर अधिसूचित क्षेत्र वार्ड-13 में छोटी पंडित के घर से राजेश्वर राम के मठ तक जाने वाली सड़क अधूरी होने के कारण आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो उक्त सड़क निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

पटना:

दिनांक 31 मार्च, 2016 (ई॰)।

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि॰स॰मु॰(एल॰ए॰), 98-डी॰टी॰पी॰-300